

“राष्ट्रीय लोक अदालत 2022”

आदेश

लक्ष्मीलाल की रिपोर्ट के आधार पर शूटिंग का कोर्ट जारी किया जा कर पत्रावली फौजदार शुभाकर दारिलाले का रफ्तार हो ।

E. Prasad

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, शिविर प्रमोरी
जिला बीसवाड़ा

